प्रेस विज्ञप्ति

17.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेघराज सिंह एंड कंपनी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 14.02.2024 को जयपुर, अजमेर और नागौर (राजस्थान) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने मेघराज सिंह एंड कंपनी के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बजरी पट्टा धारक मेघराज सिंह आलनियावास, रियानबड़ी, नागौर में अवैध खनन की आड़ में कृषि भूमि, श्मशान भूमि और गौचर भूमि पर अवैध खनन में शामिल है।

अवैध स्टॉक बनाए रखने के लिए मेघराज सिंह एंड कंपनी द्वारा कांटे पर हर बार एक ही डंपर/ट्रेलर खड़ा कर अलग-अलग वाहन नंबरों के फर्जी ई-रवाना जारी किए जा रहे हैं। यह भी आरोप है कि मेघराज सिंह एंड कंपनी बजरी ले जाने वाले ट्रकों/ट्रेलरों से अवैध टोल वसूली में शामिल है।

तलाशी अभियान के दौरान, 37.16 लाख रुपए नकद और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल, लैपटॉप आदि सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है.

****